भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1417
13 फरवरी, 2025 को उत्तर देने के लिए

मिलावटी देसी घी का व्यापार

1417. श्री अरुण गोविल:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मिलावटी देसी घी के व्यापार की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसे रोकने के लिए की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) से (ख): भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) की स्थापना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 (अर्थात एफएसएस अधिनियम 2006) में निहित प्रावधानों के अनुसार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी और इसे खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करने तथा मानव उपभोग के लिए सुरक्षित एवं पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उनके विनिर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को विनियमित करने का अधिदेश दिया गया है।

एफएसएसएआई द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार , वे देश भर में उपभोक्ताओं को घी सहित सुरक्षित खाद्य उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। तदनुसार, उन्होंने खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य अड्डिटिव) विनियम, 2011 के उप-विनियम 2.1.8 के तहत 'दूध वसा उत्पाद (घी)' के मानक निर्धारित किए हैं, जिसमें घी की प्रामाणिकता की जाँच के लिए फैटी एसिड संरचना का उल्लेख किया गया है। निर्धारित सुरक्षा और गुणवत्ता मापदंडों के विश्लेषण को सुविधाजनक बनाने के लिए, एफएसएसएआई ने विश्लेषण के तरीकों का मैनुअल भी जारी किया है।

इसके अलावा, संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य सुरक्षा विभागों और एफएसएसएआई के क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारी पूरे वर्ष नियमित निगरानी, मॉनीटरिंग, निरीक्षण और यादृच्छिक नमूनाकरण करते हैं। ऐसे मामलों में जहां उपरोक्त विनियमों में निर्धारित वैधानिक आवश्यकताओं का गैर-अनुपालन पाया जाता है, दोषी खाद्य व्यवसाय संचालकों (एफ़बीओ) के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जाती है।

*****